	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
सत्यमेव जयते	माघ 16, गुरूवार, शाके 1947- फरवरी 05, 2026 Magha 16, Thursday, Saka 1947- February 05, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त,राजस्थान एवं पंजीयक विभागीय परीक्षा,

आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक राज0,उदयपुर

अधिसूचना

उदयपुर, मई 9, 2025

संख्या प.19()/**वि.परीक्षा/साप्र./आब/**2024 :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान असैनिक सेवाऐं (विभागीय परीक्षा) नियम,**1959**के अन्तर्गत आबकारी निरीक्षकों (अधीनस्थ सेवायें, आबकारी विभाग,राजस्थान) की विभागीय परीक्षाएं हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,रानी रोड़,उदयपुर,राजस्थान में दिनांक 21.07.2025, 22.07.2025एवं 23.07.2025को निम्नानुसार आयोजित की जायेगी:-

क्र0सं0	परीक्षाकीदिनांक	समय	प्रश्नपत्र	परीक्षाकाविषय
1.	21.07.2025सोमवार	दोपहर2.30PMसे5.30PM	प्रथम	राजस्थानसेवानियम, वित्त एवंलेखानियम
2.	22.07.2025मंगलवार	दोपहर2.30PMसे5.30PM	द्वितीय	आबकारीनियमएवंप्रक्रिया
3.	23.07.2025बुधवार	दोपहर2.30PMसे5.30PM	तृतीय	दण्डसंहिताप्रक्रिया, आई0पी0सी0एवंइवीडेन्सएक्ट(अद्यतन नाम) भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023

उपरोक्त विभागीय परीक्षा का पाठयक्रम (सिलेबस) राजस्थान राजपत्र भाग-2 दिनांक 05.09.1968 के अनुसार होगा।

विभागीय परीक्षा 1959 के नियम 8 के अन्तर्गत जो आबकारी निरीक्षक परीक्षा में बैठने के पात्र हैं (प्रति संलग्न) एवं परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम से दिनांक 16.06.2025 तक या इससे पूर्व प्रस्तुत करें। इस अवधि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आबकारी निरीक्षकों को चाहिए कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन का पूर्ण विवरण प्रेषित करें।

शिव प्रसाद नकाते,
आबकारी आयुक्त,एवं,
पंजीयक विभागीय परीक्षा,
आबकारी विभाग,राजस्थान,उदयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।